संजीव कुमार वर्मा बनाम निर्देशक, अर्बन लोकल बॉडीज, चंडीगढ़
(न्यायमूर्ति सतीश कुमार मत्तल) (FB)

न्यायमूर्ति सतीश कुमार मित्तल,
महेश ग्रोवर,
जसवंत सिंह,
हरिंदर सिंह सिद्धू
दीपक सिबल के समक्ष

संजीव कुमार वर्मा —-अपीलकर्ता
बनाम
निर्देशक, शहरी स्थानीय निकाय,
चंडीगढ़ और अन्य — उत्तरदाताओं
2013 का एलपीए नंबर 592
11 फरवरी 2015

लेटर्स पेटेंट, 1910 - उपधारा 10 - भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 243 आर, 243 वी और 243 जेड ए- हरियाणा नगर अधिनियम, 1973 - धारा 9, 13बी ,18 और 21 - हरियाणा नगर चुनाव नियम, 1978 - नियम 72-ए और 72-बी - नगरपालिका समिति राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव - निर्वाचित सदस्य - समिति जिसमें शामिल हैं 15 सदस्य हैं-13 निर्वाचित और 2 नामांकित अर्थात क्षेत्र के सांसद और विधायक - 9 सदस्यों द्वारा यानी 13 निर्वाचित सदस्यों में से 2/3 बहुमत ने राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया - रिट क्षेत्राधिकार में संकल्प को चुनौती दी गई- 15 सदस्यों वाली समिति और इस प्रकार 2/3 बहुमत 10 होगा - रिट खारिज - एलपीए उसके के खिलाफ - पूर्ण बेंच का रेफरेंस - इसके बाद लार्जर बेंच के समक्ष रखा गया, क्योंकि पहले पूर्ण बेंच निर्णयों में लिया गया दृश्य पर फिर से विचार आवश्यक है - अभिनिर्धारित किया, सदस्यों को खंड (ii) और (iii) के तहत नामित किया गया है खंड 9 (3) अर्थात. MP / MLA, को `समिति का निर्वाचित सदस्य नहीं माना जा सकता है '- राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए धारा 21 (3) के तहत नामांकित सदस्यों को समिति के निर्वाचित सदस्यों के 2 / 3rd से कम की गणना करने के लिए नहीं गिना जा सकता है-धारा 13-बी के बार के मद्देनजर हाउस ऑफ पीपल और विधान सभा के सदस्य राज्य 'समिति के निर्वाचित सदस्य' के रूप में नहीं रह सकते - कृष्ण कुमार में सिंगला के मामले में पूर्ण बेंच के निर्णय को खारिज कर दिया गया - रेफरेंस का उत्तर दिया.

अभिनिर्धारित किया, अभिव्यक्ति "निर्वाचित सदस्यों" को आगे व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। ये शब्द सादे और सरल हैं। निर्वाचित सदस्य का अर्थ है समिति के सदस्य जिन्हें नगर पालिका के क्षेत्र

में क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुना गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचित सदस्य में स्वाभाविक रूप से उन सदस्यों को शामिल किया जाएगा जो इस आधार पर समिति के सदस्य बन जाते हैं कि उन्हें हाउस ऑफ पीपल, विधान सभा या परिषद के सदस्यों द्वारा समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है। केवल इसलिए कि नामांकित सदस्य को विधान सभा के सदस्य होने के नाते बड़े परिप्रेक्ष्य में मुद्दों की बेहतर समझ होगी सिर्फ इसलिए उन्हें 'समिति के निर्वाचित सदस्य' का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और धारा 21 (3) में प्रयुक्त "निर्वाचित सदस्य" अभिव्यक्ति में शामिल है नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, हमारे विचार में पूर्ण बेंच द्वारा निर्धारित पूर्वोक्त कानून कृष्णन कुमार सिंगला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 1999 (3) पीएलआर 150 को अधिनियम के धारा 13-बी और 21 (3) के सादे प्रावधानों के विपरीत माना जाता है और उसे रद्द किया जाता है। उपरोक्त के प्रकाश में, सभी तीन संदर्भित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं: —

(i) लोक सभा और विधान सभा या राज्य या राज्यों की परिषद के सदस्य, जिन्हे अधिनियम की धारा 9 (3) के खंड (ii) और (iii) के तहत लोक सभा, राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य होने के कारण, समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है, को समिति का 'निर्वाचित सदस्य' नहीं माना जा सकता है।

(ii) अधिनियम के 21 (3) के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ कोई विश्वास प्रस्ताव सफलतापूर्वक पारित करने के लिए समिति के निर्वाचित सदस्य के दो तिहाई से कम नहीं होने की गिनती / गणना में धारा 9 (3) के खंड (ii) और (iii) के तहत नामांकित किए गए नामांकित सदस्य को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

(iii) अधिनियम की धारा 13-बी के बार के मद्देनजर लोक सभा और विधान सभा का सदस्य समिति का निर्वाचित सदस्य नहीं रह सकता है।

संदर्भ का तदनुसार उत्तर दिया जाता है।

(अनुच्छेद 41 और 42)

अमित झनजी, एडवोकेट और एविनिट अवस्थी, एडवोकेट, अपीलकर्ता के लिए।

हिटिंदर सिंह लल्ली, अधिरिक्त ए.जी., हरियाणा, प्रतिवादियों. 1 से 4 के लिए।

अनिल राथे, एडवोकेट, प्रतिवादी सं. 5-नगरपालिका समिति, नारायणगढ़.

संजीव पंडित, एडवोकेट और बलबीर कुमार सानी, एडवोकेट, प्रतिवादियों नंबर 6 से 14 के लिए।

सतीश कुमार मित्तल, न्यायमूर्ति

1. नगरपालिका समिति, नारायणगढ़ (इसके बाद 'समिति' के रूप में संदर्भित) में 13 निर्वाचित सदस्य और दो नामित सदस्य शामिल हैं, अर्थात, अंबाला से संसद सदस्य और सदस्य विधानसभा, नारायणगढ़, जिन्हें हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 9 (3) के तहत नामित किया गया था (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित)। अपीलकर्ता संजीव कुमार वर्मा को दिनांक 21-6-2010 को हुई बैठक में समिति का अध्यक्ष चुना गया। उनका नाम हरियाणा राज्य के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। दिनांक 03.08.2012 को आयोजित समिति के सदस्यों की बैठक में अपीलकर्ता के खिलाफ हरियाणा नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1978 के नियम 72-ए के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 21 के तहत एक अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया था। जिन 15 सदस्यों को नोटिस दिए गए थे, उनमें से 13 निर्वाचित और 2 नामित, जैसा कि ऊपर बताया गया है, केवल 9 निर्वाचित सदस्य बैठक में उपस्थित हुए और सर्वसम्मति से गुप्त मतदान के माध्यम से अपीलकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। चूंकि अविश्वास प्रस्ताव समिति के 13 निर्वाचित सदस्यों में से 9 द्वारा पारित किया गया था, इसलिए इसे समिति के निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई के समर्थन से किए जाने की घोषणा की गई थी, और उक्त संकल्प को पारित करने पर अपीलकर्ता को अपना कार्यालय खाली करने वाला माना गया था।

2. अपीलकर्ता ने इस न्यायालय में 2012 की सीडब्ल्यूपी संख्या 15125 दायर करके उक्त संकल्प को चुनौती दी, जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 06.02.2013 के आदेश के तहत खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि अविश्वास प्रस्ताव को पूरा करने के उद्देश्य से, अधिनियम की धारा 21 (3) के तहत परिकल्पित निर्वाचित सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। और अधिनियम की धारा 9 (3) (ii) के तहत नामित सदस्यों को अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए समिति के सदस्यों की कुल संख्या के 2/3 की गिनती के उद्देश्य से निर्वाचित सदस्यों के रूप में नहीं लिया जाना है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इस तरह की व्याख्या धारा 21 (3) की सरल भाषा के विपरीत होगी और अधिनियम के निर्माण में विधायी इरादे की सच्ची भावना के विपरीत होगी। अपीलकर्ता ने तत्काल अपील दायर करके उक्त आदेश को चुनौती दी। यह तर्क दिया गया था कि दो-तिहाई 'समिति के निर्वाचित सदस्यों' के समर्थन से अपीलकर्ता के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं किया गया था। उनके अनुसार, 'निर्वाचित सदस्यों' में दो नामित सदस्य शामिल होंगे, जो बड़े निर्वाचन क्षेत्रों से चुने गए थे, इस प्रकार, कुल निर्वाचित सदस्य 15 हो गए और जिनमें से दो-तिहाई 10 होंगे, जबकि अविश्वास प्रस्ताव केवल 9 निर्वाचित सदस्यों द्वारा पारित किया गया था। उनके तर्क के समर्थन में, **कृष्ण कुमार सिंगला बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,**[1]में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था: -

> *"26.(एफ) धारा 21 (3) के संशोधन से पहले इसने 'कम से कम 2/3 सदस्यों को' शब्द का उपयोग किया था जो समिति के अविश्वास प्रस्ताव को ले जा सकते थे। इस धारा में संशोधन किया गया ताकि 'निर्वाचित सदस्यों के कम से कम 2/3' शब्दों को शामिल किया जा सके। निर्वाचित सदस्यों में स्वाभाविक रूप से वे सदस्य शामिल होंगे जो लोक सभा,*

[1] 1999 (3) 123 पीएलआर 150

विधान सभा या परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के आधार पर समिति के सदस्य बन जाते हैं, जैसा भी मामला हो, उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिसका नगरपालिका समिति एक खंड है। 'निर्वाचित सदस्यों' की अभिव्यक्ति को इसका उचित अर्थ और अर्थ दिया जाना चाहिए जो उन लोगों को, जिन्हें अन्यथा संवैधानिक प्रावधानों के आवश्यक निहितार्थ द्वारा संरक्षित अधिकार दिया गया था, बाहर करने के बजाय कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इन निर्वाचित सदस्यों को स्पष्ट रूप से विवादों की बेहतर समझ होगी, और समिति द्वारा लिए गए किसी विशेष निर्णय के निहितार्थ और जिस तरह से राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर ऐसे निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, वे प्रभावी रूप से भाग लेते हैं और जमीनी स्तर पर समिति के प्रशासन में मदद करते हैं, नगरपालिका समिति की तुलना में बहुत बड़े निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य होते हैं। इस प्रकार, हमारे विचार में, वे अधिनियम की धारा 21 (3) में उपयोग किए जाने वाले 'निर्वाचित सदस्यों' की अभिव्यक्ति द्वारा कवर किए जाएंगे। (जोर दिया गया)

3. आगे यह तर्क दिया गया कि ***राज पाल छाबड़ा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य,***[2] में इस न्यायालय के पहले पूर्ण पीठ के फैसले में, यह भी कहा गया था कि नगरपालिका के अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों द्वारा किया जाना था। अर्थात, निर्वाचित सदस्यों के साथ-साथ अधिनियम की धारा 9 (3) के उपखंड (ii) और (iii) के तहत विनिर्दिष्ट सदस्य, और ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामले (सुप्रा)*** में निर्णय को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम की धारा 9 (3) (ii) के तहत आने वाले नामित सदस्यों को अधिनियम की धारा 21 (3) के सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए समिति का निर्वाचित सदस्य माना जाएगा। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया था कि न केवल उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक में मतदान करने का अधिकार होगा, बल्कि समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए समिति के निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई सदस्यों की गणना के उद्देश्य से उनकी संख्या की भी गणना की जानी थी।

4. उपरोक्त तर्क का प्रतिवादियों के विद्वान वकीलों द्वारा विरोध किया गया था और यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम की धारा 21 (3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव केवल राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ किया जा सकता है यदि 'समिति के निर्वाचित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई' द्वारा समर्थित किया जाता है और 'समिति के निर्वाचित सदस्य' समिति के केवल वे सदस्य हो सकते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से धारा 9 की उप-धारा (2) के तहत प्रदान किए गए अनुसार नगरपालिका समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से चुना गया था, और अधिनियम की धारा 9 (3) के खंड (ii) के तहत नामित सदस्य शामिल नहीं होंगे क्योंकि वे लोक सभा और विधान सभा के सदस्य हैं। यह तर्क दिया गया था कि यद्यपि समिति के नामित सदस्य अपने नामांकन के आधार पर समिति के सदस्य हैं इसलिए उन्हें समिति की बैठक में मतदान करने का अधिकार है,

---

[2] 1998 (3) पीएलआर 1

लेकिन उन्हें धारा 21 (3) के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने के उद्देश्य से 'समिति के निर्वाचित सदस्य' नहीं माना जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि धारा 21 (3) में, विधायिका की मंशा स्पष्ट थी कि जहां तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का संबंध है, इसे 'समिति के निर्वाचित सदस्यों' के कम से कम दो-तिहाई द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए, न कि 'समिति के नामित सदस्यों' द्वारा जिन्हें अधिनियम की धारा 9 (3) के खंड (ii) के तहत नामित किया गया है। आगे यह तर्क दिया गया कि ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामले (सुप्रा)*** में पूर्ण पीठ ने 1997 के अधिनियम संख्या 13 द्वारा सम्मिलित अधिनियम की धारा 13-बी की स्पष्ट रूप से अनदेखी की थी, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया था कि किसी व्यक्ति को नगरपालिका समिति और विधानसभा या संसद के सदस्य के रूप में एक साथ नहीं चुना जा सकता है, जैसा भी मामला हो; और यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य विधान सभा या संसद के सदस्य के रूप में चुना जाता है, जैसा भी मामला हो, तो वह विधान सभा या संसद के लिए निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में कार्य करना बंद कर देगा। प्रतिवादियों के वकील ने अपने प्रस्ताव के समर्थन में ***रमेश मेहता बनाम सनवल चंद सिंघवी और अन्य[3],*** में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया।

5. विभिन्न प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने मामले को बड़ी पीठ को भेज ते हुए कहा कि ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामले (सुप्रा)*** में पूर्ण पीठ द्वारा इस मुद्दे के संबंध में लिया गया दृष्टिकोण कि लोक सभा और राज्य की विधानसभा के सदस्य, जिन्हें अधिनियम की धारा 9 (3) के खंड (ii) के तहत समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए अधिनियम की धारा 21 (3) के तहत बुलाई गई विशेष बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से समिति के 'निर्वाचित सदस्य' के रूप में माना जाएगा, जिस पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता थी क्योंकि धारा 13-बी के प्रभाव और अधिनियम की धारा 18 (1) में किए गए संशोधन पर पूर्ण पीठ द्वारा विचार नहीं किया गया था क्योंकि इसे इसकी जानकारी में नहीं लाया गया था और निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए संदर्भित किया:

> *"(i) अधिनियम की धारा 21(3) के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए 'समिति के निर्वाचित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई की गिनती/गणना' करते समय, जिन नामित सदस्यों को लोक सभा और विधान सभा का सदस्य होने के कारण धारा 9(3) के खंड (ii) और (iii) के तहत नामित किया गया है, या राज्य सभा के सदस्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए?*
>
> *(ii) चाहे राज्य विधान सभा, लोक सभा या राज्य सभा के सदस्य हों, जिन्हें लोक सभा और विधान सभा या राज्य सभा के सदस्य होने के कारण धारा 9(3) के खंड (ii) और (iii) के अधीन समिति के सदस्यों के रूप में नामनिर्देशित किया गया है, क्या उन्हें केवल इसलिए 'समिति का निर्वाचित सदस्य' माना जा सकता है क्योंकि वे लोक सभा और विधान सभा, या*

[3] (2004) 5 एससीसी 409.

राज्य परिषद के निर्वाचित सदस्य हैं, विशेष रूप से अधिनियम की धारा 13-ख को ध्यान में रखते हुए?

(iii)क्या लोक सभा और विधान सभा का कोई सदस्य अधिनियम की धारा 13-बी के तहत बनाई गई रोक के मद्देनजर नगरपालिका समिति या परिषद के निर्वाचित सदस्य के रूप में रह सकता है, जैसा भी मामला हो?"

6. उक्त संदर्भ इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष रखा गया था जिसमें तीन न्यायाधीश शामिल थे। पूर्ण पीठ ने रेफरल आदेश में डिवीजन बेंच द्वारा उठाए गए उपरोक्त पुन: प्रस्तुत प्रश्नों से सहमति व्यक्त की है, यह देखते हुए कि ***राज पाल छाबड़ा*** और ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामलों (सुप्रा)*** में दिए गए पहले पूर्ण पीठ के फैसले में अधिनियम की धारा 13 बी और 18 (1) के संशोधित प्रावधानों के प्रभाव पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए, इस मामले को अभी भी एक बड़ी पीठ द्वारा पुन: निर्धारण की आवश्यकता होगी। उक्त संदर्भ को ध्यान में रखते हुए, मामले को उपर्युक्त मुद्दों के निर्धारण के लिए पांच न्यायाधीशों वाली इस पीठ के समक्ष रखा गया है।

7. हमने उपरोक्त मुद्दों और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य परिणामी मुद्दों पर पार्टियों के विद्वान वकीलों की दलीलों को विस्तार से सुना है। पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा उठाए गए तर्कों के आलोक में उपरोक्त मुद्दों/प्रश्नों से निपटने से पहले, भारत के संविधान के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों और वर्तमान मामले में शामिल अधिनियम के साथ-साथ समय-समय पर किए गए विभिन्न संशोधनों और धारा 13-बी के उद्देश्य और और अधिनियम की धारा 18 (1) और 21 (3) में किए गए संशोधनों के इतिहास में जाना उचित और आवश्यक होगा।

भारत के संविधान में 74 वां संशोधन

8. शहरी स्थानीय सरकार, जिसे भारतीय संघीय सरकार का तीसरा स्तर माना जाता है, को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, भारत के संविधान में 74 वां संशोधन किया गया था। संविधान में अनुच्छेद 243P से 243ZG को पेश किया गया था। अनुच्छेद 243 आर में नगरपालिकाओं की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 243टी में नगरपालिका समिति, नगर परिषद या नगर निगम में सीटों के आरक्षण का प्रावधान है, जैसा भी मामला हो। अनुच्छेद 243यू में नगर पालिकाओं आदि की अवधि का प्रावधान है। अनुच्छेद 243V सदस्यों को अयोग्य ठहराने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 243ZA नगरपालिकाओं के चुनाव के लिए प्रावधान करता है। इन अनुच्छेदों के संगत प्रावधान, जिनका इस संदर्भ में उठाए गए मुद्दों पर प्रभाव पड़ता है, नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:-

*"**243R. नगर पालिकाओं की संरचना**:- **(1)** खंड (2) में किए गए उपबंध के अलावा, नगर पालिका में सभी स्थान नगरपालिका क्षेत्र में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरे जाएंगे और इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा।*

(2) किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, उपबंध कर सकेगा-

(a) नगर पालिका में प्रतिनिधित्व के लिए-

(i) नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्ति;

(ii) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र सम्मिलित है;

(iii) राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद के सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं;

(iv) अनुच्छेद 243 एस के खंड (5) के अधीन गठित समितियों के अध्यक्ष

परन्तु पैरा (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा;

(b) एक नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव का तरीका।

*"**243V. सदस्यता के लिए अयोग्यता**:- (1) एक व्यक्ति को नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा।-*

(a) यदि वह संबंधित राज्य के विधान-मंडल के चुनाव के प्रयोजनों के लिए कुछ समय के लिए लागू किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य है:

परन्तु किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि उसकी आयु पच्चीस वर्ष से कम है, यदि वह इक्कीस वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है;

*(b) **यदि वह राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य है।***

(जोर दिया गया)

*"**243जेडए नगरपालिकाओं के निर्वाचन:- (**1) नगरपालिकाओं के सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी और संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण अनुच्छेद 243क में निर्दिष्ट राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा।*

*(2) **इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान-मंडल, विधि द्वारा, नगरपालिकाओं के निर्वाचनों से संबंधित या उसके संबंध में सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा।***

(जोर दिया गया)

9. अनुच्छेद 243 आर में, एक स्पष्ट जनादेश दिया गया था कि नगर पालिका में सभी सीटें नगरपालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों के माध्यम से भरी जाएंगी। राज्य विधानमंडल नगर पालिकाओं की संरचना के संबंध में कानून अधिनियमित करते समय इस जनादेश को शामिल करने के लिए बाध्य है। तथापि, उप-अनुच्छेद (2) के माध्यम से इस अधिदेश को एक सेविंग क्लॉज प्रदान किया गया था जिसने राज्य विधानमंडल को (i) नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले; (ii) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य जो उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतः या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र सम्मिलित है; (iii) राज्य सभा के सदस्य और राज्य की विधान परिषद के सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत हैं; और (iv) अनुच्छेद 243 एस के खंड (5) के तहत गठित समितियों के अध्यक्ष जैसे व्यक्तियों के नामांकन के लिए प्रावधान करने के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया था । हालांकि, यह विशेष रूप से प्रावधान किया गया है कि पैराग्राफ (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। उप-अनुच्छेद (1) में एक स्पष्ट जनादेश है कि नगर पालिका में सभी सीटें नगरपालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों के माध्यम से भरी जाएंगी। उप-अनुच्छेद (2) में स्पष्ट अधिदेश के साथ दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि जहां तक पैराग्राफ (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों का संबंध है, उन्हें नगरपालिका की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। निहित, यह कहा जा सकता है कि पैराग्राफ (ii), (iii) और (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठकों में मतदान का अधिकार दिया जा सकता है लेकिन यह उस संबंध में राज्य विधान द्वारा अधिनियमित कानून पर निर्भर करेगा। इन उप-अनुच्छेदों में यह विचार नहीं किया गया है कि पैरा (ii), (iii) और (iv) में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी को नगरपालिका की सभी बैठकों में मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसमें समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने की बैठक भी शामिल है। इस संबंध में कानून बनाते समय ऐसे सदस्यों को मत का अधिकार देना और किस सीमा तक देना राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ दिया गया है। सामान्य सिद्धांतों के उप-अनुच्छेद (2) द्वारा अपवाद बनाने का उद्देश्य नगर निगम प्रशासन में विशेष ज्ञान और अनुभव रखने वाली समिति के सदस्यों और लोक सभा के सदस्यों और राज्य की विधान सभा के सदस्यों को शहरी स्थानीय क्षेत्र के उचित और प्रभावी विकास के लिए सही और उचित निर्णय लेने के लिए समिति के निर्वाचित सदस्यों का मार्गदर्शन करने के लिए अनुभवी व्यक्तियों को प्रदान करना था।

शामिल मुद्दों से संबंधित नगरपालिका अधिनियम में किए गए संशोधनों का इतिहास

10. भारत के संविधान में किए गए उपर्युक्त संशोधन को ध्यान में रखते हुए, 1994 के हरियाणा अधिनियम संख्या 3 (5.4.1994 को अधिसूचित) द्वारा वर्ष 1994 में प्रमुख अधिनियम की धारा 9 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया था: –

*"**9. नगर पालिकाओं की संरचना :** (1) धारा 2क के अधीन गठित नगरपालिकाओं में निर्वाचित सदस्यों की ऐसी संख्या होगी जो नियमों द्वारा विहित किए जाएं ग्यारह से कम न हों।*

(2) उपधारा (3) में किए गए प्रावधान को छोड़कर, नगरपालिका की सभी सीटें नगरपालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी और इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्र को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा जिन्हें वार्ड के रूप में जाना जाएगा।

(3) प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों के अतिरिक्त, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, व्यक्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों को नगरपालिका के सदस्यों के रूप में नामित करेगी:-

(i) नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले तीन से अधिक व्यक्ति नहीं;

(ii) लोक सभा और राज्य की विधान सभा के सदस्य, उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूरी तरह से या आंशिक रूप से, नगरपालिका क्षेत्र शामिल हैं; और

(iii) राज्य परिषद के सदस्य, नगरपालिका क्षेत्र के भीतर निर्वाचक के रूप में पंजीकृत:

परन्तु उपर्युक्त खंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठकों में मत देने का अधिकार नहीं होगा:

परन्तु नगर परिषद के मामले में कार्यकारी अधिकारी और नगरपालिका समिति के मामले में सचिव को नगरपालिका की सभी बैठकों में भाग लेने और चर्चा में भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन उन्हें उसमें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।"

11. अधिनियम की धारा 18 में कुछ संशोधन भी किए गए थे जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का प्रावधान करते हैं। प्रमुख अधिनियम की धारा 18 को निम्नलिखित प्रभाव के लिए प्रतिस्थापित किया गया था: –

*"**18. राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति का चुनाव**: (1) प्रत्येक नगरपालिका समिति या नगर परिषद् समय-समय पर अपने एक सदस्य को ऐसी अवधि के लिए अध्यक्ष चुनेगी जो विहित की जाएँ और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य नगर समिति या नगर परिषद का अध्यक्ष बनेगा:*

बशर्ते कि नगरपालिका समिति और नगर परिषदों में अध्यक्ष का पद धारा 10 में किए गए प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए आरक्षित होगा:

बशर्ते कि यदि राष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु, इस्तीफे या अविश्वास प्रस्ताव के कारण खाली हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए एक नया चुनाव उसी श्रेणी से आयोजित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक नगरपालिका समिति या नगर परिषद, समय-समय पर, एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी करेगी:

परन्तु यदि उपराष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु, त्यागपत्र या अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए नया चुनाव कराया जाएगा।

(3) उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।"

12. अधिनियम की धारा 21 में, जो राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का प्रावधान करती है, उप-धारा (4) में कुछ संशोधन किए गए थे और "या नियुक्ति" शब्द को हटा दिया गया था। उस समय धारा 21 की उप-धारा (3) निम्नानुसार है: –

"(3) यदि प्रस्ताव समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से लाया जाता है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा कि उसने पद खाली कर दिया है।"

13. दिनांक 13.09.1995 की अधिसूचना द्वारा हरियाणा नगरपालिका चुनाव नियम, 1978 में भी संशोधन किया गया। नियम 72-क और 72-ख को नियमों में सम्मिलित किया गया था जिन्हें तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

"72-ए- अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव *--- (1) किसी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव उपायुक्त को संबोधित लिखित में दिए गए अनुरोध के माध्यम से किया जा सकता है, जिस पर समिति के सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों:*

बशर्ते कि जिन सदस्यों ने ऐसा प्रस्ताव दिया है, वे इस उद्देश्य के लिए बैठक बुलाए जाने से पहले इसे वापस ले सकते हैं।

स्पष्टीकरण- इस नियम के तहत किसी भी अंश को समग्र रूप से लिया जाएगा।

(2) उपायुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी, जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो, जैसा कि उपायुक्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक सदस्य को सदस्यों के उपयोग के लिए अधियाचन की एक प्रति परिचालित करेगा।

(3) उपायुक्त या ऐसा अन्य अधिकारी, जो अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से नीचे का न हो, जैसा कि उपायुक्त प्राधिकृत करे, उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रस्ताव पर विचार करने

के लिए कम से कम पंद्रह दिनों की सूचना देकर एक विशेष बैठक बुलाएगा और ऐसी बैठकों की अध्यक्षता करेगा:

परन्तु इस प्रयोजन रा्थ ऐसी कोई बैठक तब तक नहीं बुलाई जाएगी जब तक कि इस प्रयोजन रा्थ बुलाई गई पिछली बैठक की तारीख से छह माह की अवधि बीत न गई हो।

(4) यदि प्रस्ताव समिति के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से किया जाता है, तो राष्ट्रपति या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, यह माना जाएगा कि उसने अपना पद खाली कर दिया है।

72-ख नया निर्वाचन *:- यदि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद उसके कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव के कारण रिक्त हो जाता है, तो शेष अवधि के लिए नया चुनाव इस भाग में निहित उपबंधों के अनुसार कराया जाएगा।*

बशर्ते कि यदि राष्ट्रपति का पद उनके कार्यकाल के दौरान अविश्वास प्रस्ताव के कारण खाली हो जाता है, तो उसी श्रेणी से एक नया चुनाव कराया जाएगा।

14. वर्ष 1995 में 17.4.1995 को अधिसूचित हरियाणा अधिनियम संख्या 3 के तहत अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया गया था:-

"बशर्ते कि उपरोक्त खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को न तो चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और न ही नगरपालिका समिति या नगर परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को चुनाव लड़ने या हटाने का अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो:

15. उपर्युक्त संशोधन के माध्यम से, विधायिका ने अपने विवेक से और अनुच्छेद 243 जेडए के खंड (बी) और अनुच्छेद 243जेडए के उप-अनुच्छेद (2) द्वारा उसे दी गई शक्ति के माध्यम से, अधिनियम की धारा 9 (3) के खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मतदान के अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया। इस संशोधन के अनुसार उन्हें न तो नगरपालिका समिति या नगर परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और न ही उन्हें ऐसे चुनाव में मतदान करने का अधिकार होगा। समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने में उन्हें वोट देने का कोई अधिकार भी नहीं दिया गया था।

16. इस संशोधन की वैधता ***राज पाल छाबड़ा के मामले (सुप्रा)*** में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष विचार के लिए आई थी। उस स्थिति में मुद्दा यह था कि अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए बुलाई गई बैठक में समिति के कौन से सदस्य मतदान करने के हकदार होंगे; क्या केवल समिति के निर्वाचित सदस्य हैं; या, यहां तक कि अधिनियम की धारा 9 (3) के खंड (ii) के तहत नामित समिति के नामित सदस्य भी। उस समय, धारा 21 (3) में केवल यह प्रावधान था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कम से कम दो-तिहाई 'समिति के सदस्यों' के समर्थन से किया जा सकता है। पूर्ण पीठ ने इस प्रश्न पर विचार करने के बाद कहा कि राज्य की विधान सभा

के सदस्य और संसद सदस्य, जिन्हें समिति के सदस्य होने के नाते अधिनियम की धारा 9 (3) के खंड (ii) के तहत समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है, को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव करते समय मतदान करने का अधिकार होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसे व्यक्तियों को अविश्वास प्रस्ताव में मतदान के अधिकार से बाहर नहीं रखा जा सकता है। 1995 के अधिनियम संख्या 3 के तहत किए गए संशोधन, जिसके तहत धारा 9 (3) में दूसरा परंतुक जोड़ा गया था, को संविधान के अनुच्छेद 243 आर के विपरीत घोषित किया गया था । यह भी कहा गया कि अधिनियम की धारा 9 (3) के दूसरे परंतुक में शामिल ऐसे सदस्यों के मतदान के अधिकार पर रोक लगाना राज्य की विधायी क्षमता के भीतर नहीं था।

17. जब मामला पूर्ण पीठ के समक्ष लंबित था, तो अधिनियम की धारा 9 (3) को 1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 18 द्वारा दिनांक 16.12.1996 की अधिसूचना द्वारा फिर से संशोधित किया गया था। धारा 9 की उप-धारा (3) में, खंड (i) को हटा दिया गया था जो नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के नामांकन से संबंधित है। पहले परंतुक को भी हटा दिया गया जिसमें प्रावधान किया गया था कि खंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को समिति की बैठक में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा परंतुक, जिसे 1995 के हरियाणा अधिनियम संख्या 3 द्वारा संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, को निम्नलिखित परंतुक के साथ प्रतिस्थापित किया गया था: –

> *"परन्तु उपर्युक्त खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को न तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और न ही अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बैठकों में और समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए विशेष बैठकों में मतदान करने का अधिकार होगा। जैसा भी मामला हो।*

18. प्रमुख अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) में, "इसके सदस्यों में से एक" शब्द को "इसके निर्वाचित सदस्यों में से एक" शब्दों के साथ भी प्रतिस्थापित किया गया था। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (3) में भी संशोधन किया गया था और "कम से कम दो-तिहाई सदस्य" शब्दों को "निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई से कम नहीं" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया गया था।

19. अधिनियम की धारा 21 (3) को तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

> ***"21. राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव.-***
>
> *(1) xx xx xx*
>
> *(2) xx xx xx*
>
> *(3) यदि प्रस्ताव समिति के निर्वाचित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई के समर्थन से किया जाता है, तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा कि उसने अपना पद खाली कर दिया है।*

20. अधिनियम में इन संशोधनों को ***राज पाल छाबड़ा के मामले (सुप्रा)*** में पूर्ण पीठ के ध्यान में लाया गया था, लेकिन इस आधार पर उन पर विचार नहीं किया गया कि वे संशोधन उस

मामले में लागू नहीं थे क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव 13.7.1995 को पारित किया गया था और संशोधन 8.12.1996 को लागू हुए थे। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि उन संशोधनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

21. अधिनियम की धारा 18 और 21 में किए गए उपर्युक्त संशोधनों के बाद, वर्ष 1997 में चुनाव में नामित सदस्यों की भागीदारी और राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के संबंध में मुद्दा ***कृष्ण कुमार सिंगला (सुप्रा)*** के मामले में फिर से विचार के लिए आया, जहां अधिनियम की धारा 9, 18 और 21 (3) में किए गए संशोधनों के आलोक में विद्वान एकल न्यायाधीश ने ***राज पाल छाबड़ा के मामले (सुप्रा)*** में पूर्ण पीठ की शुद्धता पर संदेह किया। इस मुद्दे पर इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा फिर से विचार किया गया और यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां तक 1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 18 के तहत अधिनियम की धारा 9 में किए गए संशोधनों का संबंध है, वे उसी तर्क पर असंवैधानिक हैं जैसा कि ***राज पाल छाबड़ा के मामले (सुप्रा)*** में दिया गया था। इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं –

> *"24. वास्तव में राज पाल छाबड़ा के मामले में पूर्ण पीठ के समक्ष जो दलीलें थीं, उन्हें विधायी संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है। संशोधित परंतुक उस सीमा तक उसी असंविधान के दोष से ग्रस्त है जिसके तहत धारा 9 के पूर्व प्रावधानों को खराब माना गया था। हम राज पाल छाबड़ा के मामले में दिए गए तर्क को अपनाते हैं क्योंकि यह उसी निष्कर्ष पर आने में वर्तमान मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होता है। इसके अलावा यह अजीब बात है कि संशोधन में लोक सभा और विधान सभाओं या राज्य परिषदों के सदस्यों को, जैसा भी मामला हो, मतदान के अधिकार से वंचित करने का प्रस्ताव है। पार्टियों के विद्वान वकील इन दो सदस्यों को विशेष बैठकों में मतदान के अधिकार से रोकने के लिए शायद ही कोई औचित्य दे सके या जब सदन द्वारा समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो। यह पूरी तरह से मनमाना प्रतीत होता है कि इन सदस्यों को समिति के दिन-प्रतिदिन के मामलों में मतदान करने का अधिकार होगा, लेकिन केवल उपरोक्त बैठकों में मतदान के अधिकार से वंचित किया जाएगा।*
>
> *25. मनमानी किसी विधायी प्रावधान की वैधता या अन्यथा का आकलन करने का आधार नहीं हो सकती है, लेकिन जब इस तरह की मनमानी के साथ-साथ यह तथ्य कि अधिनियम द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य को पूरा करने की मांग की गई है, तो ऐसे प्रावधानों के संशोधन की वैधता पर इसका संचयी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन हम पहले ही कह चुके हैं कि इन निर्वाचित सदस्यों के एक बहुत बड़े निर्वाचन क्षेत्र के अधिकार को बाहर करना या वंचित करना, जिसमें नगरपालिका समिति का निर्वाचन क्षेत्र एक छोटा हिस्सा है, असंवैधानिक है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 243-आर के तहत दिए गए संरक्षण के विपरीत है।"*

22. जहां तक अधिनियम की धारा 21 (3) में किए गए संशोधन का संबंध है, जहां "कम से कम दो-तिहाई सदस्य" अभिव्यक्ति को "निर्वाचित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई" अभिव्यक्ति के साथ बदल दिया गया था, यह देखा गया था कि निर्वाचित सदस्यों में वे सदस्य शामिल होंगे जो,

उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिसमें नगरपालिका समिति एक खंड था, लोक सभा और विधान सभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के आधार पर समिति के सदस्य बन जाते हैं, जैसा भी मामला हो । "निर्वाचित सदस्य" शब्द को उचित अर्थ देने के लिए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नामित सदस्य जिन्हें धारा 9 (3) के खंड (ii) के तहत नामित किया गया है, वे समिति के निर्वाचित सदस्य होंगे। इस संबंध में, निर्णय के पैरा 26 में पूर्ण पीठ द्वारा निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं: –

"......(एफ) धारा 21 (3) के संशोधन से पहले इसने 'कम से कम 2/3 सदस्यों को' शब्द का उपयोग किया था जो समिति के अविश्वास प्रस्ताव को ले जा सकते थे। इस धारा में संशोधन किया गया ताकि 'निर्वाचित सदस्यों के कम से कम 2/3' शब्दों को शामिल किया जा सके। निर्वाचित सदस्यों में स्वाभाविक रूप से वे सदस्य शामिल होंगे जो लोक सभा, विधान सभा या परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के आधार पर समिति के सदस्य बन जाते हैं, जैसा भी मामला हो, उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिसका नगरपालिका समिति एक खंड है। 'निर्वाचित सदस्यों' की अभिव्यक्ति को इसका उचित अर्थ और अर्थ दिया जाना चाहिए जो उन लोगों को बाहर करने के बजाय कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जिन्हें अन्यथा संवैधानिक प्रावधानों के आवश्यक निहितार्थ द्वारा संरक्षित अधिकार दिया गया था। इन निर्वाचित सदस्यों को स्पष्ट रूप से विवादों की बेहतर समझ होगी, और समिति द्वारा लिए गए किसी विशेष निर्णय के निहितार्थ और जिस तरह से राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर ऐसे निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, वे प्रभावी रूप से भाग लेते हैं और जमीनी स्तर पर समिति के प्रशासन में मदद करते हैं, नगरपालिका समिति की तुलना में बहुत बड़े निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य होते हैं। इस प्रकार, हमारे विचार में, वे अधिनियम की धारा 21 (3) में उपयोग किए जाने वाले 'निर्वाचित सदस्यों' की अभिव्यक्ति द्वारा कवर किए जाएंगे।

(g) यह स्थापित कानून का शासन है कि आम तौर पर न्यायालय अधिनियमन में विधायिका द्वारा उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्तियों के लिए अपने स्वयं के शब्दों को प्रतिस्थापित नहीं करेगा। यह भी उतना ही सच है कि न्यायालय कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धारा की भाषा को उस भाषा के अलावा कोई अन्य अर्थ नहीं देंगे जो इसके सादे पठन पर अनुमेय है। यहां तक कि अधिनियम की धारा 9 के संशोधित प्रावधानों में कहा गया है कि धारा 2 (ए) के तहत गठित नगर पालिका में निर्वाचित सदस्यों की ऐसी संख्या होगी, जो 11 से कम नहीं होगी, जैसा कि नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

जैसा कि पहले ही देखा गया है, नगरपालिका की सीटों को उप-धारा (2) के प्रावधानों के अधीन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड से सीधे चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरा जाना है। उप-धारा (3) आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करने और संशोधित प्रावधानों में उल्लिखित श्रेणी से संबंधित सदस्य को नामित करने के लिए 'होगा' शब्द का उपयोग करके अनिवार्य बनाती है। इस प्रकार, लोक सभा, राज्य की विधान सभा या राज्य परिषद के सदस्य समिति के नामनिर्देशित सदस्य होंगे। संवैधानिक अधिदेश और राज्य विधानमंडल का विधायी इरादा स्पष्ट रूप से एक अनिवार्य दिशा की ओर ले जाता है कि एक बड़े निर्वाचन

क्षेत्र के निर्वाचित सदस्य, जिसका समिति का निर्वाचन क्षेत्र एक हिस्सा है, समिति का नामित सदस्य होगा। कानून ने अपने विवेक से किसी भी प्रावधान में "पदेन सदस्य" शब्द का उपयोग नहीं किया है। हमें क़ानून में इस तरह के अर्थ को पढ़ने का कोई कारण नहीं दिखता है। एक मनोनीत सदस्य को समिति के सदस्य के रूप में उसका दर्जा केवल तभी मिलता है जब उसके इस प्रकार नामित होने की राजपत्र अधिसूचना जारी की जाती है। इस प्रकार यह सरकार की ओर से एक निश्चित कार्य है जो उन्हें समिति का सदस्य बनने का हकदार बनाएगा। विधायिका ने अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में अलग-अलग अभिव्यक्ति का उपयोग किया है (संशोधित अधिनियम की धारा 9, 18 और 21 का संदर्भ दिया जा सकता है)। उपरोक्त तीन अलग-अलग प्रावधानों में प्रयुक्त "प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्ति", "इसके चुनाव सदस्यों में से एक" और "समिति के निर्वाचित सदस्यों के कम से कम 2/3 नहीं" वाक्यांश के बीच अंतर ठीक हो सकता है लेकिन एक स्पष्ट है। विधायिका समिति के निर्वाचित सदस्यों के बजाय सीधे निर्वाचित सदस्यों के 2/3 अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकती थी। इस अधिनियम के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जमीनी स्तर पर एक प्रभावी, उद्देश्यपूर्ण और कुशल लोक प्रशासन प्राप्त करने के लिए इन प्रावधानों का कुछ हद तक उदार निर्माण किया जाना चाहिए। विधायिका ने अपने विवेक से समिति के सदस्यों के संदर्भ में अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है, लेकिन अधिनियम की धारा 2 में 'सदस्य' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है;

(h) हमें ध्यान देना चाहिए कि अनुच्छेद 243-आर (2) राज्य विधान में उस संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है और जहां तक यह 'चुनाव के तरीके' से संबंधित है, इस पर शायद ही सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन नामित सदस्य के अधिकार के विभाजन को शायद ही इस आधार पर उचित ठहराया जा सकता है, जो, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, एक बहुत बड़े निर्वाचन क्षेत्र से अधिक महत्वपूर्ण मंच के लिए निर्वाचित सदस्य हैं।

अन्य प्रावधानों या इसके प्रभावों की वैधता पर न तो हमारे समक्ष सवाल उठाया गया है और न ही हम उन पर टिप्पणी करने का प्रयास कर सकते हैं- विशेष रूप से जहां वे नगरपालिका के अध्यक्ष के चुनाव के तरीके से संबंधित हैं;

(i) यह विधियों की व्याख्या के स्थापित सिद्धांतों में से एक है कि बेतुके परिणामों से बचा जाना चाहिए। बेतुकापन का सिद्धांत न्यायालय के लिए एक प्रावधान की व्याख्या करना आवश्यक बनाता है, जिसके परिणाम सार्वजनिक नीति के विरोध में नहीं होंगे और अनुचित भी नहीं होंगे। एक बहुत बड़े निर्वाचन क्षेत्र और अधिक सार्वजनिक महत्व के पद के लिए चुने गए सदस्य समिति के दिन-प्रतिदिन के कार्यों में भाग लेने के हकदार होंगे, बैठक ों को छोड़कर अन्य बैठकों को जिन्हें विशेष कहा जाता है या "अविश्वास प्रस्ताव" पर विचार करने के लिए बैठकें। यह अपने आप में समिति के निर्वाचित सदस्यों की समिति में सीधे निर्वाचित सदस्यों के रूप में व्याख्या को प्रतिबंधित करके अनुचितता की सीमा को इंगित करता है, जो इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि एक बहुत बड़े निर्वाचन क्षेत्र और अधिक सार्वजनिक महत्व

के पद के निर्वाचित सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के निर्णय के लिए आयोजित विशेष और बैठक को छोड़कर अन्य बैठकों में भाग लेने के हकदार होंगे।

23. जब मामला पूर्ण पीठ के समक्ष लंबित था, तो अधिनियम की धारा 13-बी को 1997 के हरियाणा अधिनियम संख्या 13 द्वारा किए गए संशोधन के माध्यम से पहले ही जोड़ा जा चुका था, जो निम्नानुसार है: –

*"**13-बी: एक साथ या दोहरी सदस्यता पर प्रतिबंध:**(1) कोई भी व्यक्ति समिति का निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान सभा का सदस्य या संसद का सदस्य एक साथ नहीं होगा।*

(2) यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य विधान सभा या संसद के लिए निर्वाचित हो जाता है, जैसा भी मामला हो, तो वह विधान सभा या संसद के लिए निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से, जैसा भी मामला हो, समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में कार्य करना बंद कर देगा।

24. उपर्युक्त उपबंध द्वारा, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि समिति का निर्वाचित सदस्य एक साथ राज्य की विधान सभा का सदस्य या संसद का सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि ऐसा सदस्य विधान सभा या संसद के लिए चुना जाता है, तो वह समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में कार्य करना बंद कर देगा। यह एक तथ्य है कि ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामले (सुप्रा***) में पूर्ण पीठ द्वारा मामले पर फैसला करते समय उपरोक्त संशोधन पर विचार नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त संशोधन को पूर्ण पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

25. अधिनियम की धारा 13-बी का इस संदर्भ में उठाए गए मुद्दे पर बहुत प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 243 वी (1) के खंड (बी) और अनुच्छेद 243 जेडए के उप-अनुच्छेद (2) के प्रकाश में। इस संशोधन द्वारा, विधान सभा या संसद के सदस्य को समिति का निर्वाचित सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। यह अयोग्यता राज्य विधानमंडल द्वारा कानून के तहत निर्धारित की गई है। यदि विधान सभा का कोई सदस्य या राज्य का सदस्य या संसद सदस्य एक साथ समिति का निर्वाचित सदस्य नहीं रह सकता है, तो यह लिया जाना है कि ऐसे सदस्य को समिति का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है।

26. तदुपरांत, वर्ष 2000 में अधिनियम की धारा 9 को वर्ष 2000 के हरियाणा अधिनियम संख्या 14 के द्वारा संशोधित किया गया और अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा गया, अर्थात् :-

"बशर्ते कि उपरोक्त खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होगा।

27. वर्ष 2005 में, धारा 9 (3) को 2005 के हरियाणा अधिनियम संख्या 10 द्वारा संशोधित किया गया था। धारा 9 (3) के खंड (i) जिसे 1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 18 द्वारा हटा दिया गया था, को फिर से अंतःस्थापित किया गया था, और धारा 9 (3) के मौजूदा परंतुक को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था: –

"परन्तु उपर्युक्त खंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिकाओं में निर्दिष्ट व्यक्तियों की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा और खंड (ii) और (iii) निर्दिष्ट व्यक्तियों को अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होगा।"

28. वर्ष 2006 में हरियाणा अधिनियम सं 26 द्वारा 3.10.2006 से किए गए संशोधन के माध्यम से अधिनियम की धारा 2 में खंड 14-क अंतःस्थापित किया गया था, जो निम्नानुसार है:

"14-ए) "सदस्य" का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा विधिवत निर्वाचित या नामित नगरपालिका का सदस्य"

29. समय-समय पर किए गए उपर्युक्त संशोधनों के आलोक में, इस अपील में उल्लिखित कानून के प्रश्नों पर विचार और जांच करना आवश्यक है।

30. ***राज पाल छाबड़ा और कृष्ण कुमार सिंगला के मामलों (सुप्रा)*** में, मुख्य रूप से दो मुद्दों को उठाया गया, विचार किया गया और निर्णय लिया गया। पहला, क्या राज्य विधायिका अधिनियम की धारा 9(3) के खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के मतदान के अधिकार को प्रतिबंधित कर सकती है? ***राज पाल छाबड़ा के मामले*** में, दूसरा परंतुक 1995 के हरियाणा अधिनियम संख्या 3 के माध्यम से अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) में जोड़ा गया, जिसमें प्रावधान है कि खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को न तो चुनाव लड़ने का अधिकार होगा और न ही चुनाव में मतदान करने का अधिकार होगा या नगरपालिका समिति या नगर परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का अधिकार होगा, जैसा भी मामला हो, अनुच्छेद 243 आर के दायरे से बाहर होने के कारण चुनौती दी गई थी, और ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामले (सुप्रा) में***, दूसरा परंतुक, जिसे 1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 18 द्वारा कुछ संशोधन करने के बाद धारा 9 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक के रूप में प्रतिस्थापित किया गया था, पहले के पहले परंतुक को हटाकर, जिसमें प्रावधान है कि खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा, न ही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव की बैठकों में या समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार के लिए विशेष बैठकों में मतदान करने के अधिकार को, जैसा भी मामला हो, संविधान के अनुच्छेद 243 आर के विपरीत होने के कारण चुनौती दी गई थी।

31. दूसरा मुद्दा जो उपर्युक्त दो निर्णयों में उठाया गया था और विचार किया गया था, वह यह था कि क्या समिति के नामित सदस्य जिन्हें अधिनियम की धारा 9 (3) के खंड (ii) और (iii) के तहत नामित किया गया है, उन्हें समिति के निर्वाचित सदस्यों के रूप में माना जाना है, जिन्हें समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने की प्रक्रिया में मतदान करने का अधिकार है।

32. जहां तक पहले मुद्दे का संबंध था, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि नामित सदस्यों के मतदान के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 243 आर का उल्लंघन करता है, और राज्य विधान अधिनियम की धारा 9 (3) के दूसरे परंतुक में शामिल इस तरह की रोक बनानान अपनी क्षमता के भीतर नहीं था। ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामले***

(सुप्रा) में, जब यह मुद्दा 1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 18 द्वारा परंतुक में किए गए संशोधन के संबंध में फिर से विचार के लिए आया, तो यह अभिनिर्धारित किया गया कि संशोधित परंतुक उसी तर्क पर असंवैधानिक था जैसा कि ***राज पाल छाबड़ा के मामले में*** दिया गया था, क्योंकि इस संशोधित परंतुक ने अधिनियम की धारा 9(3) खंड (ii) और (iii) के तहत नामित लोक सभा और विधान सभाओं या राज्य परिषदों के सदस्यों को भी मतदान के अधिकार से वंचित किया था। यह अभिनिर्धारित किया गया कि इन सदस्यों को विशेष बैठकों में मतदान के अधिकार से रोकने का कोई औचित्य नहीं था या जब समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के संबंध में अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा हो। इस प्रकार इस संशोधन को मनमाना माना गया।

33. जहां तक नामित सदस्यों के अधिकार के प्रतिबंध के संबंध में मुद्दा है, हमारी राय में, यह जीवित नहीं रहता है क्योंकि बाद में वर्ष 2000 में धारा 9 की उप-धारा (3) के पहले परंतुक को प्रतिस्थापित किया गया था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होगा। और 2005 के हरियाणा अधिनियम संख्या 10 द्वारा वर्ष 2005 में इस परंतुक में किए गए और संशोधन, जिसे 1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 18 द्वारा हटा दिया गया था, को फिर से सम्मिलित किया गया। उक्त संशोधन के बाद धारा 9(3), जो आज अस्तित्व में है, के परंतुक में यह प्रावधान है कि उपर्युक्त खंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होगा और खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होगा। इस परंतुक में यह संशोधन अधिनियम की धारा 18(1) के अनुरूप है जिसमें यह प्रावधान है कि समिति के निर्वाचित सदस्य को ही समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। अब इस परंतुक में इन व्यक्तियों के वोट के अधिकार की कोई सीमा या प्रतिबंध नहीं है। इसलिए, वर्तमान में हमारे समक्ष ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि खंड (ii) और (iii) के तहत नामित किए गए नामित सदस्यों के अधिकार को अधिनियम की धारा 9 (3) में जोड़े गए परंतुक द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। यद्यपि हमें इस संबंध में ***राज पाल छाबड़ा*** और ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामलों (सुप्रा***) में पूर्ण पीठ द्वारा दी गई व्याख्या के खिलाफ कड़ी आपत्ति है, क्यूंकि हमारे विचार में, पूर्ण पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 243 आर (1) और अनुच्छेद 243जेडए (2) के खंड (बी) की उचित रूप से सराहना नहीं की है, जिसने राज्य विधायिका को नगरपालिका के लिए चुनाव और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव से संबंधित या उसके संबंध में कानून द्वारा प्रावधान करने के लिए पर्याप्त शक्तियां दी हैं। हमारे विचार में, राज्य विधायिका ने अपने विवेक से खंड (ii) और (iii) के तहत नामित सदस्यों के मतदान के अधिकार को इस हद तक प्रतिबंधित कर दिया था कि इन व्यक्तियों को नगरपालिका समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव या हटाने में मतदान का अधिकार नहीं होगा और हमारे अनुसार इस तरह के प्रतिबंध को अनुच्छेद 243 आर के तहत मनमाना या उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। चूंकि जैसा कि ऊपर कहा गया है, वर्तमान में यह मुद्दा नहीं उठता है, इसलिए हम इस मुद्दे पर आगे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं।

34. दूसरे मुद्दे पर, यह ***राज पाल छाबड़ा के मामले*** में अभिनिर्धारित किया गया था, विशेष रूप से धारा 21 (3) के असंशोधित प्रावधानों के मद्देनजर, जिसमें नामित सदस्यों और समिति के निर्वाचित सदस्यों के बीच कोई अंतर नहीं था, और जहां धारा 21 (3) में ही प्रावधान था कि समिति

के कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन से राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 9 (3) के खंड (ii) के तहत समिति के नामित सदस्यों को समिति के सदस्य होने के नाते राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव करते समय मतदान करने का अधिकार होगा। यह अभिनिर्धारित किया गया कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए बुलाई गई बैठक में ऐसे व्यक्तियों को मतदान के अधिकार से बाहर नहीं किया जा सकता है। जब मामला ***राज पाल छाबड़ा के मामले में*** पूर्ण पीठ के समक्ष लंबित था, तो अधिनियम की धारा 18 की उप-धारा (1) में एक संशोधन किया गया था, जिसमें "इसके सदस्यों में से एक" शब्दों को "इसके निर्वाचित सदस्यों में से एक" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया गया था, और आगे धारा 21 की उप-धारा (3) में भी एक संशोधन किया गया था और "कम से कम दो-तिहाई सदस्य" शब्दों को " निर्वाचित सदस्य के दो-तिहाई से कम नहीं" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया गया था। ***राज पाल छाबड़ा के मामले (सुप्रा)*** में पूर्ण पीठ द्वारा इस संशोधन पर इस आधार पर विचार नहीं किया गया था कि उस मामले में अविश्वास प्रस्ताव का प्रस्ताव उपरोक्त संशोधन लागू होने से बहुत पहले पारित किया गया था और उस मामले में लागू नहीं माना गया था, लेकिन जब यह मुद्दा ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामले (सुप्रा)*** में फिर से विचार के लिए आया, इन संशोधनों पर पूर्ण पीठ द्वारा विचार किया गया था और यह अभिनिर्धारित किया गया था कि समिति के नामित सदस्य, जिन्हें धारा 9 (3) के खंड (ii) के तहत नामित किया गया है, उन्हें समिति का निर्वाचित सदस्य माना जाएगा और अधिनियम की धारा 21 (3) में उपयोग किए जाने वाले "निर्वाचित सदस्य" शब्द के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये सदस्य नगरपालिका समिति की तुलना में एक बड़े निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं और नामित किए जा रहे हैं। नगरपालिका समिति लोक सभा, विधान सभा या राज्यों की परिषद के सदस्यों के रूप में चुने जाने के आधार पर, जैसा भी मामला हो, उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिसका नगरपालिका समिति एक खंड है। जब ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामले में*** पूर्ण पीठ ने अधिनियम की धारा 18 और 21 (3) की उपरोक्त व्याख्या की, तो 1997 के हरियाणा अधिनियम संख्या 13 के तहत अधिनियम में धारा 13-बी पहले ही शामिल की जा चुकी थी, जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान था कि कोई भी व्यक्ति नगरपालिका समिति के सदस्य, विधानसभा के सदस्य या संसद सदस्य के रूप में एक साथ नहीं चुना जाएगा। और यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य विधान सभा या संसद के लिए चुना जाता है, जैसा भी मामला हो, तो वह विधान सभा के सदस्य या संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के दिन से समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में कार्य करना बंद कर देगा। ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामले (सुप्रा)*** में पूर्ण पीठ द्वारा इस अनिवार्य प्रावधान पर विचार नहीं किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रावधान को पूर्ण पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था।

35. अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामले*** में पूर्ण पीठ द्वारा दी गई अधिनियम की धारा 21 (3) की व्याख्या पूरी तरह से वैध और उचित है और अधिनियम के प्रावधानों के उद्देश्य को प्राप्त करती है और इस पर इस पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता नहीं है। वकील के अनुसार, अधिनियम में धारा 13-बी को शामिल करने से भी पहले की पूर्ण पीठ द्वारा दी गई व्याख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद्वान वकील के अनुसार, विधानसभा या संसद के सदस्यों को नामित करने के लिए प्रावधान करने की पूरी योजना जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए है और नामित सदस्यों को समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास

प्रस्ताव पर विचार करने की प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। विद्वान वकील ने धारा 21 की उप-धारा (3) का उल्लेख करते हुए, विशेष रूप से "समिति के निर्वाचित सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई" शब्दों का उल्लेख करते हुए और "द" शब्द पर अधिक जोर देते हुए, तर्क दिया कि नामित सदस्य, जो बड़े निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, उनके नामांकन पर भी समिति के निर्वाचित सदस्य बन जाते हैं। उनके अनुसार, यह एकमात्र व्याख्या थी जो अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को सुसंगत बनाने के लिए दी जा सकती थी। आगे यह तर्क दिया गया है कि धारा 9 (3) के खंड (ii) के तहत नामित सदस्यों को बैठकों में मतदान करने का अप्रतिबंधित अधिकार है, इसलिए, उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाई गई विशेष बैठकों में मतदान करने के अपने अधिकार का उपयोग करने से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, और भले ही उन्होंने बैठक में भाग नहीं लिया हो, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव का पारित होने के लिए निर्वाचित सदस्यों के दो-तिहाई प्रतिशत की गणना के लिए उनकी संख्या को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

36. अनुच्छेद 243 आर में प्रावधान है कि नगर पालिका में सभी सीटें नगरपालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी। अनुच्छेद 243 R का यह भाग अनिवार्य है क्योंकि "होगा" शब्द का उपयोग किया गया है। अनुच्छेद 243 आर के उप-अनुच्छेद (2) में, राज्य विधान को नगर पालिका के अध्यक्ष के चुनाव की रीति के संबंध में कानून बनाने और नगरपालिका प्रशासन में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों के नगर पालिका में प्रतिनिधित्व प्रदान करने की शक्ति दी गई है; (ii) लोक सभा के सदस्य और राज्य की विधान सभा के सदस्य उन निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें पूर्णतया या आंशिक रूप से नगरपालिका क्षेत्र सम्मिलित है। जहां तक समिति की बैठकों में ऐसे नाम-निर्देशित सदस्यों के मताधिकार का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि खंड (i) में उल्लिखित व्यक्तियों को नगर पालिका की बैठकों में मतदान का अधिकार नहीं दिया जाएगा। तथापि, खंड (ii), (iii) और (iv) में उल्लिखित व्यक्तियों के संबंध में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है और यह राज्य विधानमंडल के विवेक पर छोड़ दिया गया है कि उन्हें नगरपालिका की बैठकों में मतदान का अधिकार दिया जाए या नहीं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 243 आर दो प्रकार के सदस्यों को मान्यता देता है, अर्थात्, निर्वाचित सदस्य और नगरपालिका के नामित सदस्य। अनुच्छेद 243 आर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह प्रावधान करता है कि नगर पालिका के नामित सदस्यों को नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों के रूप में माना जाएगा। इसके बजाय, उप-अनुच्छेद (1) में प्रावधान है कि खंड (2) में किए गए प्रावधान के अलावा, नगर पालिका में सभी सीटें नगरपालिका क्षेत्र में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी। इस प्रकार, अनुच्छेद 243 आर में हम पाते हैं कि ऐसा कोई इरादा नहीं है कि नामित सदस्यों को समिति का निर्वाचित सदस्य माना जाएगा। अनुच्छेद 243 आर के तहत भी ऐसा कोई अधिदेश नहीं है कि खंड (ii) और (iii) के तहत इस तरह के नामित सदस्यों को समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव और हटाने में मतदान करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। बल्कि इस अनुच्छेद का खंड (ख) स्पष्ट रूप से किसी राज्य के विधानमंडल को किसी नगर पालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन के तरीके को कानून द्वारा प्रदान करने की शक्ति प्रदान करता है। जाहिर है, समिति के मनोनीत सदस्य होने के नाते उन्हें अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जा सकता था। यहां तक कि यह अधिकार केवल समिति के निर्वाचित सदस्यों में निहित है।

इसलिए, राज्य विधानमंडल द्वारा नगरपालिका समिति के अध्यक्ष के चुनाव में मतदान करने या हटाने के अधिकार के संबंध में कानून बनाते समय समिति के निर्वाचित और नामित सदस्यों के बीच एक स्पष्ट अंतर किया गया है। अधिनियम की धारा 9(3) के परंतुक में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि नामित व्यक्ति को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं है। उक्त अधिकार केवल समिति के निर्वाचित सदस्यों को दिया गया है। हमारे विचार में धारा 9 (3) को केवल संदेह को हटाने के खंड की प्रकृति में माना जा सकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसे प्रचुर सावधानी के रूप में जोड़ा गया है। यदि प्रावधानों की जांच 73वें और 74वें संशोधन के उद्देश्यों और उद्देश्य की पृष्ठभूमि में की जाती है, जो तीसरे स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रदान करना है, जो कि अनुच्छेद 243 सी (पंचायतों के संबंध में) या अनुच्छेद 243 आर (नगर पालिकाओं के संबंध में) में जनादेश से स्पष्ट है। कि सभी सीटें प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी, तो ऐसे प्रावधान के अभाव में भी, अनुच्छेद 243 आर के खंड (बी) के संदर्भ में प्रतिनिधित्व प्रदान किए गए व्यक्तियों को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में चुने जाने का कोई अधिकार या दावा नहीं माना जा सकता है यानी इन निकायों में किसी भी वैकल्पिक पद का दावा नहीं किया जा सकता है। पंचायतों और नगरपालिकाओं (तीसरे स्तर) में न केवल प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर जोर दिया जाता है, बल्कि प्रत्येक स्तर के लिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र पर भी जोर दिया जाता है। यह तब प्रकट होता है जब अनुच्छेद 243 सी (5) (बी) के प्रावधानों पर ध्यान दिया जाता है जो यह प्रावधान करते हैं कि मध्यवर्ती स्तर या विशिष्ट स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष को निर्वाचित सदस्यों के बीच से चुना जाएगा। इरादा केवल नगरपालिकाओं में उन्हें प्रतिनिधित्व प्रदान करने में सक्षम बनाना है। लेकिन इस तरह के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान अनिवार्य नहीं है। विधायिका ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। इसके अलावा, धारा 18 में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि समिति के निर्वाचित सदस्यों में से एक को आगे समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा। यह संशोधन 1996 के हरियाणा अधिनियम संख्या 18 के तहत किया गया था, जहां उक्त धारा में "इसके निर्वाचित सदस्यों में से एक" जोड़ा गया था। हमें इस संशोधन को एक सीधा अर्थ देना होगा, अर्थात केवल एक निर्वाचित सदस्य ही नगरपालिका समिति का अध्यक्ष बन सकता है। मनोनीत सदस्य को समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में नहीं चुना जा सकता है। कृष्ण कुमार सिंगला के मामले (सुप्रा) में पूर्ण पीठ द्वारा इस पहलू पर विचार नहीं किया गया है। इस स्थिति को 2005 के हरियाणा अधिनियम संख्या 10 के माध्यम से 2005 में किए गए संशोधन द्वारा और स्पष्ट किया गया था, जिसके तहत पहले परंतुक के स्थान पर, नए परंतुक को प्रतिस्थापित किया गया था, अर्थात्, "बशर्ते कि उपरोक्त खंड (i) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को नगरपालिकाओं की बैठकों में मतदान करने का अधिकार नहीं होगा और खंड (ii) और (iii) में निर्दिष्ट व्यक्तियों को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होगा- अध्यक्ष। इस प्रकार, अधिनियम और संविधान की योजना और प्रावधानों के अनुसार, समिति के निर्वाचित सदस्य और समिति के नामित सदस्य के बीच अंतर है, और समिति के एक नामित सदस्य को समिति का निर्वाचित सदस्य नहीं माना जा सकता है। 2006 के हरियाणा अधिनियम संख्या 26 के तहत अधिनियम की धारा 2 में खंड 14-ए को सम्मिलित करते हुए विधायिका द्वारा उपरोक्त अंतर को और स्पष्ट किया गया था, जो निम्नानुसार है: –

"(14-ए) "सदस्य" का अर्थ है राज्य सरकार द्वारा विधिवत निर्वाचित या नामित नगरपालिका का सदस्य।"

"सदस्य" की इस परिभाषा में आगे यह प्रावधान है कि सदस्यों की दो श्रेणियां हैं, एक निर्वाचित है और दूसरी राज्य सरकार द्वारा नामित की जाती है। इसलिए, हमारी राय में, एक नामित सदस्य को समिति का निर्वाचित सदस्य नहीं माना जा सकता है।

37. अब हम धारा 13-बी के प्रभाव की जांच करेंगे, जिसे 1997 के हरियाणा अधिनियम संख्या 13 द्वारा किए गए संशोधन द्वारा डाला गया था, और ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामले (सुप्रा)*** में पूर्ण पीठ द्वारा यह व्याख्या देते हुए ध्यान में नहीं रखा गया था कि अधिनियम की धारा 9 (3) के खंड (ii) के तहत समिति के नामित सदस्य को समिति का निर्वाचित सदस्य माना जाता है और अभिव्यक्ति के तहत आएगा। अनुच्छेद 243वी (1) के खंड (बी) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा या उसके तहत अयोग्य है, तो उसे नगर पालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने और होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। इस प्रकार, यह खंड स्पष्ट रूप से राज्य विधानमंडल को नगर पालिका का सदस्य होने के लिए अयोग्यता प्रदान करने वाला कानून बनाने का अधिकार देता है। उक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए, राज्य विधानमंडल ने धारा 13-बी को अधिनियमित किया है और इसे 1997 के हरियाणा अधिनियम संख्या 13 के तहत प्रमुख अधिनियम में शामिल किया है। धारा 13-ख की उपधारा (1) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति समिति का निर्वाचित सदस्य, राज्य की विधान सभा का सदस्य या संसद का सदस्य एक साथ नहीं होगा। उपधारा (2) में यह भी उपबंध है कि यदि समिति का कोई निर्वाचित सदस्य विधान सभा या संसद के लिए निर्वाचित हो जाता है, जैसा भी मामला हो, तो वह विधान सभा या संसद के लिए निर्वाचित घोषित किए जाने की तारीख से, जैसा भी मामला हो, समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में कार्य करना बंद कर देगा। यह धारा स्पष्ट रूप से अधिदेशित करती है कि राज्य की विधान सभा का सदस्य या संसद का सदस्य समिति का निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकता है, और यदि समिति का निर्वाचित सदस्य राज्य विधान सभा या संसद के लिए चुना जाता है, तो वह विधान सभा या संसद के लिए निर्वाचित घोषित होने की तारीख से समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में कार्य करना बंद कर देगा। इसका अर्थ है कि राज्य विधान सभा का सदस्य या संसद सदस्य समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में नहीं रह सकता है। यदि वह समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में नहीं रह सकता है, तो उसे समिति का निर्वाचित सदस्य नहीं माना जा सकता है और इस प्रकार, अधिनियम की धारा 21 (3) के तहत प्रदान किए गए "निर्वाचित सदस्य" अभिव्यक्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। पूर्ण पीठ द्वारा दी गई उक्त व्याख्या धारा 13-बी के प्रावधानों के विपरीत है, जिस पर पूर्ण पीठ द्वारा चर्चा भी नहीं की गई थी। इस प्रकार, हमारी राय में, धारा 9 की उप-धारा (3) के खंड (ii) और (iii) के तहत समिति का एक नामित सदस्य, जिसे उसके पद के आधार पर समिति के सदस्य के रूप में नामित किया गया है, को समिति का सदस्य माना जा सकता है, लेकिन अधिनियम की उपरोक्त धाराओं 18 (1), 13-बी और 9 (2) के प्रकाश में, उस पर विचार नहीं किया जा सकता और उसे समिति का निर्वाचित सदस्य नहीं माना जा सकता। एक नामित सदस्य होने के नाते, वह अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के चुनाव के समय वोट डाल सकता है, लेकिन 2005 के हरियाणा अधिनियम संख्या 10 द्वारा जोड़े गए परंतुक के तहत बनाई गई बार के मद्देनजर उसे

अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ने का कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि वह समिति का निर्वाचित सदस्य नहीं है। और अधिनियम की धारा 18 (1) के अनुसार केवल समिति के निर्वाचित सदस्य को अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में चुना जा सकता है। केवल इसलिए कि उसे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के मनोनीत सदस्य होने के चुनाव में मत देने का अधिकार है, उसे अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही में भाग लेने और मतदान करने का अधिकार नहीं माना जा सकता है क्योंकि धारा 21 की उपधारा (3) में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल समिति के दो-तिहाई निर्वाचित सदस्यों द्वारा ही किया जा सकता है। चुनाव का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है और एक सामान्य कानूनी अधिकार नहीं है। यह केवल कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इसके अलावा, किसी पद के लिए चुनाव का तरीका और तरीका ऐसे व्यक्ति को पद से हटाने की योजना से अलग हो सकता है। धारा 9(3) के खंड (ii) के अधीन नामनिर्देशित सदस्य को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून द्वारा उसे वंचित किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 13-ख को ध्यान में रखते हुए, किसी मनोनीत सदस्य को राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए धारा 21 (3) के तहत बुलाई गई विशेष बैठक में भाग लेने के उद्देश्य से समिति के निर्वाचित सदस्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि उक्त उप-धारा में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के खिलाफ केवल दो-तिहाई निर्वाचित सदस्यों के समर्थन से किया जा सकता है। कमेटी। धारा 21(3) की भाषा स्पष्ट और सुस्पष्ट है। जैसा कि ***राज्य में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम परमेश्वरन सुब्रमणि और अन्य*[4]*,** के माध्यम से कहा गया है, यह अच्छी तरह से तय है कि जहां प्रावधानों में कोई अस्पष्टता नहीं है, और विधायिका की मंशा स्पष्ट रूप से व्यक्त की गई है, वहां अदालत के लिए उन प्रावधानों को पढ़ने के लिए कोई अभ्यास करने की कोई गुंजाइश नहीं है, जिन्हें विधायिका ने अपने विवेक से जानबूझकर छोड़ दिया है। यदि अदालतों द्वारा इस तरह की कवायद की जाती है तो यह वैधानिक प्रावधानों में संशोधन या बदलाव के बराबर हो सकता है। यह न्यायालय का कर्तव्य नहीं है कि वह कानून के दायरे को बढ़ाए या विधायिका की मंशा को बढ़ाए, जब प्रावधान की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है। अदालत किसी क़ानून में ऐसे शब्द नहीं जोड़ सकती या उसमें ऐसे शब्दों को नहीं पढ़ सकती जो उसमें नहीं हैं। अदालत इस धारणा के आधार पर कि विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों में कोई दोष या चूक है, सही नहीं कर सकता है या अनुमानित कमी को पूरा नहीं कर सकता है, जब शब्द स्पष्ट और स्पष्ट हों। इस संबंध में, हमारे विचार को ***नाथी देवी बनाम राधा देवी गुप्ता मामले*** में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले से समर्थन मिलता है, जिसे (2005) 2 एससीसी 271 के रूप में रिपोर्ट किया गया है। निर्णय का पैरा 11, जो प्रासंगिक है, तैयार संदर्भ के लिए नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: –

> "न्यायालय का व्याख्यात्मक कार्य सच्चे विधायी इरादे की खोज करना है। यह उचित है कि किसी क़ानून की व्याख्या करते समय न्यायालय को, यदि शब्द स्पष्ट, सादे, स्पष्ट और यथोचित रूप से केवल एक अर्थ के लिए अतिसंवेदनशील हैं, तो परिणामों के बावजूद, उस अर्थ को

[4](2009) 9 एससीसी 729.

देना चाहिए। उन शब्दों को उनके प्राकृतिक और सामान्य अर्थों में समझाया जाना चाहिए। जब कोई भाषा स्पष्ट और स्पष्ट होती है और केवल एक अर्थ को स्वीकार करती है, तो क़ानून के निर्माण का कोई सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि अधिनियम स्वयं के लिए बोलता है। अदालतें इसमें शामिल नीति से चिंतित नहीं हैं या परिणाम हानिकारक या अन्यथा हैं, जो उपयोग की जाने वाली भाषा को प्रभावी बनाने से हो सकते हैं। यदि उपयोग किए गए शब्द केवल एक निर्माण में सक्षम हैं, तो न्यायालयों के लिए यह खुला नहीं होगा कि वे इस आधार पर किसी अन्य काल्पनिक निर्माण को अपनाएं कि ऐसा निर्माण अधिनियम के कथित उद्देश्य और नीति के साथ अधिक सुसंगत है। यह विचार करते हुए कि क्या अस्पष्टता है, न्यायालय को कानून को समग्र रूप से देखना चाहिए और बेतुकेपन और विसंगतियों या अनुचितता से बचने के लिए किसी विशेष संदर्भ में अर्थ की उपयुक्तता पर विचार करना चाहिए जो क़ानून को असंवैधानिक बना सकता है।

38. इसी आशय का उच्चतम न्यायालय का निर्णय है ***ए.एन.रॉय, पुलिस आयुक्त और अन्य। बनाम सुरेश शाम सिंह,***[5] के रूप में रिपोर्ट किया गया। निर्णय का पैरा 22, जो प्रासंगिक है, नीचे प्रस्तुत किया गया है: –

"यह अब कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि न्यायालय कानून या इरादे के दायरे को नहीं बढ़ा सकता है जब कानून की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है। संकीर्ण और पेडेंटिक निर्माण को हमेशा प्रभावी नहीं किया जा सकता है। अदालतों को एक निर्माण से बचना चाहिए, जो कानून को निरर्थक बना देगा। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रत्येक क़ानून की व्याख्या उसकी भाषा के लिए किसी भी हिंसा के बिना की जानी है। यह भी स्पष्ट है कि जब एक अभिव्यक्ति एक से अधिक अर्थों में सक्षम होती है, तो अदालत वैकल्पिक निर्माण के महान परिणामों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान के उद्देश्य के अनुरूप अस्पष्टता को हल करने का प्रयास करेगी।

39. उच्चतम न्यायालय के अन्य निर्णय, जो कानून के उपरोक्त प्रस्ताव को दोहराते हैं, का संदर्भ दिया जा सकता है और वे ***विजय नारायण थट्टे और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य,***[6]; भा***रतीय प्रतिस्पर्धा आयोग बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य***[7], और ***भारत संघ और अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और अन्य***[8] के हाल ही के मामले में दिए गए निर्णय हैं । ***भारत संघ और अन्य बनाम नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड और अन्य (सुप्रा)*** संबंधित पैराग्राफ नीचे प्रस्तुत किए गए हैं: –

"43. यह स्थापित कानून है कि किसी क़ानून के किसी भी प्रावधान की व्याख्या करते समय सादे अर्थ को प्रभावी किया जाना चाहिए और यदि उसमें भाषा सरल और स्पष्ट है, तो उससे

[5] (2006) 5 एससीसी 745.
[6] (2009) 9 एससीसी 92
[7] (2010) 10 एससीसी 744
[8] (2013) 10 एससीसी 772

परे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, यदि संबंधित अनुभाग की भाषा एक सरल अर्थ और संदेश देती है, तो इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए और उन अनुच्छेदों के शीर्षकों को कोई महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। इस पहलू को प्रकाश नाथ खन्ना और अन्य बनाम आयकर आयुक्त और उत्तर, (2004) 9 एससीसी 686 में स्पष्ट किया गया है। उक्त निर्णय का पैरा 13 प्रासंगिक है जो निम्नानुसार है:

> "13. यह कानून में एक अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अदालत एक वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकती है जो स्पष्ट और स्पष्ट है। एक क़ानून विधायिका का एक आदेश है। एक क़ानून में नियोजित भाषा विधायी इरादे का निवारक कारक है। निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि कानून का इरादा विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों में पाया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या इरादा किया गया है, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है। "विधियों को यूक्लिड के प्रमेयों के रूप में नहीं माना जाना चाहिए", न्यायाधीश विद्वान हाथ ने कहा, "लेकिन शब्दों को उन उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ माना जाना चाहिए जो उनके पीछे निहित हैं"। (देखें लेनिघ वैली कोल कंपनी बनाम येनसैवेज। इस विचार को इंडफा संघ बनाम वेडेम वास्को डी गामा के फिलिप टियागो डी गामा और पद्म सुंदर राव बनाम तमिलनाडु राज्य में दोहराया गया था।."

44. यह स्पष्ट है कि जब प्रावधान स्पष्ट रूप से शब्दबद्ध और स्पष्ट है, तो इसकी व्याख्या इस तरह से की जानी चाहिए कि न्यायालय को वैचारिक संरचना या योजना की अपनी पूर्वनिर्धारित धारणाओं के आधार पर किसी प्रावधान के अर्थ के पूर्व निर्धारण के खतरे से बचना चाहिए, जिसमें व्याख्या किए जाने वाले प्रावधान कुछ हद तक फिट होते हैं। प्रावधानों की व्याख्या करते समय, न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है और इसे कानून नहीं बना सकता है। यदि आवश्यक समझा जाए तो इसे संशोधित करना, संशोधित करना या निरस्त करना विधायिका का कार्य है।

45. किसी धारा या सीमांत नोट के शीर्षक पर प्रावधान की व्याख्या में किसी भी संदेह या अस्पष्टता को दूर करने और विधायी इरादे को समझने के लिए भरोसा किया जा सकता है। हालांकि, जब अनुभाग स्पष्ट और स्पष्ट होता है, तो उन शब्दों से परे जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए, शीर्षक या सीमांत नोट्स अनुभाग के मुख्य भाग के अर्थ को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। इसलिए, यहां प्रतिवादी नंबर 1 का तर्क कि अधिनियम की धारा 33 का शीर्षक "पदों का आरक्षण" है, एक महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाएगा, जब धारा स्पष्ट और स्पष्ट है।

40. शाब्दिक व्याख्या के उपरोक्त सिद्धांत के प्रकाश में, यदि हम ***कृष्ण कुमार सिंगला (सुप्रा)*** के मामले में पूर्ण पीठ द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों की जांच करते हैं, तो हम पाते हैं कि यह टिकाऊ नहीं है: –

"26.(एफ)) धारा 21 (3) के संशोधन से पहले इसने 'कम से कम 2/3 सदस्यों को' शब्द का उपयोग किया था जो समिति के अविश्वास प्रस्ताव को ले जा सकते थे। इस धारा में संशोधन किया गया ताकि 'निर्वाचित सदस्यों के कम से कम 2/3' शब्दों को शामिल किया जा सके। निर्वाचित सदस्यों में स्वाभाविक रूप से वे सदस्य शामिल होंगे जो लोक सभा, विधान सभा या परिषद के सदस्य के रूप में चुने जाने के आधार पर समिति के सदस्य बन जाते हैं, जैसा भी मामला हो, उस निर्वाचन क्षेत्र के लिए जिसका नगरपालिका समिति एक खंड है। 'निर्वाचित सदस्यों' की अभिव्यक्ति को इसका उचित अर्थ और अर्थ दिया जाना चाहिए जो उन लोगों को बाहर करने के बजाय कानून के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में मदद करेगा, जिन्हें अन्यथा संवैधानिक प्रावधानों के आवश्यक निहितार्थ द्वारा संरक्षित अधिकार दिया गया था। इन निर्वाचित सदस्यों को स्पष्ट रूप से विवादों की बेहतर समझ होगी, और समिति द्वारा लिए गए किसी विशेष निर्णय के निहितार्थ और जिस तरह से राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर ऐसे निर्णय को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकता है। इस प्रकार, वे प्रभावी रूप से भाग लेते हैं और जमीनी स्तर पर समिति के प्रशासन में मदद करते हैं, नगरपालिका समिति की तुलना में बहुत बड़े निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए सदस्य होते हैं। इस प्रकार, हमारे विचार में, वे अधिनियम की धारा 21 (3) में उपयोग किए जाने वाले 'निर्वाचित सदस्यों' की अभिव्यक्ति द्वारा कवर किए जाएंगे। (जोर दिया गया)

41. हमारी राय में, "निर्वाचित सदस्यों" की अभिव्यक्ति को किसी और व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। ये शब्द सादा और सरल हैं। निर्वाचित सदस्यों का अर्थ समिति के उन सदस्यों से होता है जिन्हें नगरपालिका क्षेत्र में नगर पालिका के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से चुना गया है। यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचित सदस्यों में स्वाभाविक रूप से वे सदस्य शामिल होंगे जो लोक सभा, विधान सभा या परिषद के लिए निर्वाचित होने वाली समिति के सदस्यों के रूप में नामित होने के आधार पर समिति के सदस्य बन जाते हैं, जैसा भी मामला हो। केवल इसलिए कि मनोनीत सदस्य को संसद और विधान सभा का सदस्य होने के नाते बड़े परिप्रेक्ष्य में विचार किए जाने पर मुद्दों की बेहतर समझ हो सकती है, उन्हें 'समिति के निर्वाचित सदस्य' का दर्जा नहीं दिया जा सकता है और अधिनियम की धारा 21 (3) में प्रयुक्त "निर्वाचित सदस्य" अभिव्यक्ति में शामिल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, हमारे विचार में ***कृष्ण कुमार सिंगला के मामले में*** पूर्ण पीठ द्वारा निर्धारित उपरोक्त कानून को अधिनियम की धारा 13-बी और 21 (3) के सादे प्रावधानों के विपरीत माना जाता है और इसे खारिज किया जाता है। उपर्युक्त के आलोक में, सभी तीन संदर्भित प्रश्नों के उत्तर निम्नानुसार दिए गए हैं: –

(i) लोक सभा और विधान सभा या राज्य या राज्यों की परिषद के सदस्य, जिन्हे अधिनियम की धारा 9 (3) के खंड (ii) और (iii) के तहत लोक सभा, राज्य की विधान सभा या विधान परिषद के सदस्य होने के कारण, समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है, को समिति का 'निर्वाचित सदस्य' नहीं माना जा सकता है।

(ii) अधिनियम के 21 (3) के अनुसार अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ कोई विश्वास प्रस्ताव सफलतापूर्वक पारित करने के लिए समिति के निर्वाचित सदस्य के दो तिहाई से कम नहीं होने की गिनती / गणना में धारा 9 (3) के खंड (ii) और (iii) के तहत नामांकित किए गए नामांकित सदस्य को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है।

(iii) यह कि लोक सभा और राज्य की विधान सभा का सदस्य अधिनियम की धारा 13-बी के तहत बनाई गई रोक के मद्देनजर 'समिति के निर्वाचित सदस्य' के रूप में नहीं रह सकता है।

42. संदर्भ का उत्तर तदनुसार दिया जाता है।

43. रजिस्ट्री को रोस्टर के अनुसार इस अपील को अगले आदेश के लिए डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

प्रियांक गोयल

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा